झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 65 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती तेरेसी टोप्पो, मुखिया, रामपुर पंचायत, पो०-रामपुर, थाना + जिला- लोहरदगा।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लोहरदगा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

श्रीमती तेतरी टोप्पों, मुखिया, रामपुर पंचायत, ग्राम–सिवना टोली, पो0–रामपुर, थाना+जिला–लोहरदगा का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा ग्राम रामपुर के राशन डीलर श्री मोगे उराँव के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:–

1. कम मात्रा में राशन दिया जाता है।
2. सही माप–तौल एवं सही समय पर राशन नहीं दिया जाता है।
3. राशन डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है।

यह भी उल्लेखित है कि इस संबंध में पूर्व में जिला प्रखण्ड आपूर्ति एवं कार्यालय में भी उक्त की शिकायत की गई, परन्तु उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को प्रतिवादी बनाया जाय।

इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–28.12.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–28.12.2022 अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश.docx78

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–65 / 2022	
28.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा उपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा ने आयोग को बताया कि जिस राशन डीलर के संदर्भ में शिकायत की गई थी, उसकी जाँच की गई। जाँच में राशन डीलर पर लगाया गया आरोप सही पाया गया। अतः राशन डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए FIR दर्ज करा दिया गया है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लाभुकों को जिस नये राशन डीलर के साथ सम्बद्ध किया गया है, उसके माध्यम से लाभुकों को जितने माह का अनाज नहीं दिया गया अथवा कम दिया गया, उसकी भरपाई खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराते हुए करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा ने आयोग को आश्वस्त किया है कि शिकायतकर्ता को बकाया अनाज सवा गुणा उपलब्ध करा दिया जाएगा। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर भेजें। आयोग इस निर्देश के साथ इस वाद को निस्तारित करता है, लेकिन 15 दिनों के अन्दर यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग के निर्देश का अनुपालन का प्रमाण नहीं भेजा, तो इस वाद की कार्रवाई पुनः आरंभ की जा सकती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx37	